न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री धर्मेन्द्र वर्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–01/2024

तारीख दायर–07.02.2024

तारीख–निर्णय–08.08.2025

1. श्री देवा पिता नाथु मीणा निवासी सडामानपुर तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री लालु पिता नाथु मीणा निवासी सडामानपुर तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.......अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भोगला पिता नाथु मीणा निवासी निवासी सडामानपुर तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री हिरीया पिता नाथु मीणा निवासी निवासी सडामानपुर तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. ग्राम पंचायत बेडावल जरिये सरपंच साहब।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

..........रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड एण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजगी निर्णय ग्राम पंचायत देवलीया नामान्तरण संख्या 1589 दिनांक 17.11.2021

उपस्थित– अपीलान्ट की ओर से– अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

रेस्पोडेन्टगण ओर से–अनुपस्थित

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर

–: :निर्णय : :–

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय विद्वान अधीनस्थ ग्राम पंचायत व पटवार हल्का का निर्णय न्याय एवं कानुन के विपरीत है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त बिना जांच किये नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मौजा सडामानपुर में स्थित है, जो जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 121 व पुराना 118 में वर्णित आराजीयात 16 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 166 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्वर 167 रकवा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 168 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 177 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 536 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 539 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 764/50 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात अपीलाण्ट की मौरूसी सम्पति है। ग्राम सडामानपुर ग्राम पंचायत बेडावल पटवार हल्का बेडावल ए में अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम नाथु दोनो के समान था जबकी अपीलाण्ट के दादाजी का नाम धुला था व

रेसपोडेन्ट के दादाजी का नाम मेगा था जबकी अपीलाण्ट खाता संख्या नया 121 व पुराना 118 में वर्णीत आराजियात का कब्जा व काश्त करते आ रहें है। उक्त आराजीयात अपिलाण्ट की मोरूसी सम्पति हें जों अपीलाण्ट के दादा धुला से अपिलाण्ट के पिता नाथु के नाम पर आई जो पुत्र नाथु का नामान्तरण खोलते समय ग्राम पंचायत बेडावल व पटवार हल्का बेडावल ए द्वारा बिना जांच किये ही अपीलाण्ट के आराजीयात में नामान्तरण खोल दिया जबकी अपिलाण्ट के आराजीयात में नामान्तरण खोल दिया जबकी अपीलाण्ट देवा व लालु के नाम पर नामान्तरण खुलना था । अपीलाण्ट व रेसपोडेन्ट दोनो के पिता का नाम समान होने से ग्राम पंचायत बेडावल द्वारा गलत नामान्तरण खोल दिया जबकी अपील की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात की भूमि में अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं उक्त भूमि पर रेसपोडेन्ट का कभी भी कब्जा नही रहा है। केवल अपीलाण्ट व रेसपोडेन्ट के पिता का नाम समान होने से अपीलाण्ट के नाम दर्ज भूमि विरासत से रेसपोडेन्टगण के नाम पर दर्ज हो गई है। इसलिये अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेन्ट को जरिये सम्मन मय नकल अपील के तलब किये गये। रेसपोडेन्टगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन किये जो अपील में वर्णीत है। उक्त अपील में तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल बेडावल के राजस्व ग्राम सडामानपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 की आराजी नम्बर 16 रकवा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 166 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 167 रकवा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 168 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 177 रकवा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 536 रकवा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 539 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 764/50 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्री केशुलाल, धुला, नाथु, बाबरू पिता रामला, रूपली पुत्री रामला, वेलकी पत्नी रामला, भोगला पिता नाथु हिरीया पिता नाथु के नाम राजस्व रेकार्ड दर्ज है। राजस्व ग्राम सडामानपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2011 में खाता संख्या 11 खातेदार श्री नाथु, प्रथा पिता धुला के नाम रेकॉर्ड दर्ज था। खातेदार श्री नाथु पिता धुला के वारिसान देवा लालु एवं प्रथा पिता धुला के वारिसान रामला है। विरासत नामान्तरकरण संख्या 42 खाता संख्या 21 में नाथु पिता धुला के वारिसान दर्ज करते समय सहवन से नाथु पिता मेगा के वारिसान श्री हरजिया,भोगला पिता नाथु के नाम इन्द्राज कर दिया जो गलत है। वर्तमान में उक्त प्रकरण में समस्त आराजीयात पर नाथु पिता धुला के सही वारिसान श्री देवा,लालु पिता नाथु एवं रामला पिता प्रथा के वारिसान का कब्जा होकर शान्तिपूर्वक कास्त कर रहें है। तहसीलदार लसाडिया की जांच रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया जिला–सलूम्बर

अतः अपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट साबित पाये जाने से स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत देवलीया द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 05.07.1973 को निरस्त किया जाता है एवं मौजा सडामानपुर तहसील लसाडिया की जमाबन्दी संवत् संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 121 व पुराना 118 में वर्णित आराजीयात 16 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 166 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 167 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 168 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 177 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 536 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 539 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 764/50 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज भूमि को अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को मेंरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला–सलूम्बर

Scanned with CamScanner